

धनवन्तरी एम्बुलेंस योजना-108

As on Report November, 2016

1.	योजना का	धनवन्तरी एम्बुलेंस योजना-108																		
2.	संक्षिप्त परिचय	<p>राज्य में "इमरजेन्सी रिस्पॉन्स प्रणाली" स्थापित करने हेतु इस योजना का शुभारम्भ किया गया। "108 एम्बुलेंस" योजना की घोषणा बजट उद्घोषणा 2008-2009 में धनवन्तरी एम्बुलेंस योजना के रूप में की गई थी। जिसे प्रारंभ में 5 एम्बुलेंस के साथ शुरू किया गया था एवं वर्तमान में 649 एम्बुलेंस राज्य के सभी 33 जिलों एवं 249 ब्लॉक/तहसीलों में कार्यरत है।</p> <p>यह प्रणाली एक उच्चतम तकनीक के कॉल सेन्टर उपकरण मय एम्बुलेंस तथा प्रशिक्षित इमरजेन्सी तकनीकी कर्मचारी के आधार पर संचालित की जा रही है तथा लगभग सभी एम्बुलेंस "जीपीएस सिस्टम" युक्त है जिसके संचालन के मापदण्ड निम्न हैं :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. प्रति एम्बुलेंस प्रतिदिन ट्रिप की न्यूनतम संख्या 5 होनी चाहिए इससे कम होने पर भुगतान में कटौती का प्रावधान है। 2. सम्पूर्ण राज्य में 24x7 परिवहन इमरजेन्सी सेवा उपलब्ध करायी जानी है। 3. कोई भी कॉल बिना सुनी हुई नहीं होनी चाहिए चाहे न्यूनतम ट्रिप प्रतिदिन पूर्ण कर ली हो। <p>इस सेवा के अन्तर्गत किसी भी फोन से "108" निःशुल्क टेलीफोन नम्बर डायल करने पर समस्त चिकित्सा उपकरणों से सुसज्जित एम्बुलेंस 20 मिनट (शहरी) से 30 मिनट (ग्रामीण) और 40 मिनट (रेगिस्तानी) में क्षेत्र में रोगी के पास पहुँच जाती है एवं 1 घंटे से कम समय में उसे अस्पताल पहुँचा दिया जाता है। 108 इमरजेन्सी सेवा निम्नलिखित आपातकालीन अवस्थाओं में उपलब्ध है।</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tbody> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">❖ लकवा</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">❖ बुखार संक्रमण (इन्फेक्शन)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">❖ बेहोशी</td> <td style="text-align: center;">❖ विषाक्तता (पॉइजनिंग)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">❖ मानसिक अवसाद</td> <td style="text-align: center;">❖ मिर्गी / दौरै</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">❖ हृदय आघात</td> <td style="text-align: center;">❖ एलर्जिक रिएक्शन</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">❖ मधुमेह</td> <td style="text-align: center;">❖ मौसमी बीमारिया</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">❖ प्राकृतिक आपदाएं</td> <td style="text-align: center;">❖ जानवरों द्वारा काटा जाना बाल रोग</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">❖ आग से जलना</td> <td style="text-align: center;">❖ नवजात सम्बन्धित समस्या</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">❖ आत्महत्या व आत्मघात</td> <td style="text-align: center;">❖ अन्य दुर्घटनाए</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">❖ प्रसव पीडा व गर्भावस्था सम्बन्धित</td> <td style="text-align: center;">❖ श्वास सम्बन्धित</td> </tr> </tbody> </table> <p>इसने अलावा गर्भावस्था तथा शिशु संबंधी किसी भी सूचना को इमरजेन्सी के रूप में</p>	❖ लकवा	❖ बुखार संक्रमण (इन्फेक्शन)	❖ बेहोशी	❖ विषाक्तता (पॉइजनिंग)	❖ मानसिक अवसाद	❖ मिर्गी / दौरै	❖ हृदय आघात	❖ एलर्जिक रिएक्शन	❖ मधुमेह	❖ मौसमी बीमारिया	❖ प्राकृतिक आपदाएं	❖ जानवरों द्वारा काटा जाना बाल रोग	❖ आग से जलना	❖ नवजात सम्बन्धित समस्या	❖ आत्महत्या व आत्मघात	❖ अन्य दुर्घटनाए	❖ प्रसव पीडा व गर्भावस्था सम्बन्धित	❖ श्वास सम्बन्धित
❖ लकवा	❖ बुखार संक्रमण (इन्फेक्शन)																			
❖ बेहोशी	❖ विषाक्तता (पॉइजनिंग)																			
❖ मानसिक अवसाद	❖ मिर्गी / दौरै																			
❖ हृदय आघात	❖ एलर्जिक रिएक्शन																			
❖ मधुमेह	❖ मौसमी बीमारिया																			
❖ प्राकृतिक आपदाएं	❖ जानवरों द्वारा काटा जाना बाल रोग																			
❖ आग से जलना	❖ नवजात सम्बन्धित समस्या																			
❖ आत्महत्या व आत्मघात	❖ अन्य दुर्घटनाए																			
❖ प्रसव पीडा व गर्भावस्था सम्बन्धित	❖ श्वास सम्बन्धित																			

		<p>तत्परता से लिया जाता। यह मुख्य रूप से गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं को निकटतम अस्पताल में इलाज हेतु एक निःशुल्क परिवहन सेवा है ताकि मातृत्व मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर को कम किया जा सके।</p> <p>माननीय मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के अनुरूप राज्य के 50 अति पिछड़े ब्लॉक्स/विकास खण्डों में एक-एक अतिरिक्त एम्बुलेंस प्रतिस्थापित की जा चुकी है।</p> <p>वर्तमान में 649 "108 एम्बुलेंस" कार्यरत है।</p>
3.	प्रारम्भ होने का वर्ष	2008-09
4.	लाभाविन्त वर्ग	राजस्थान के समस्त नागरिक
5.	पात्रता	सभी आपातकालीन चिकित्सा सुविधा चाहने वाले रोगी
6.	देय सुविधायें	किसी भी प्रकार की दुर्घटना एवं अन्य आवश्यक चिकित्सा सुविधा चाहने वाले रोगी को स्वयं की इच्छानुसार तुरन्त निकटतम अस्पताल में पहुँचाना
7.	आवेदन का तरीका	108 नम्बर पर निःशुल्क फोन द्वारा
8.	सम्पर्क सूत्र एवं सेवा प्रदाता कंपनी	<p>परियोजना निदेशक (एनआरएचएम), द्वितीय तल, एनआरएचएम बिल्डिंग, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, जयपुर।</p> <p>जीवीके ईएमआरआई, SIHFW बिल्डिंग, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, दुरदर्शन केन्द्र, जयपुर (राज०)</p>